राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 154/2013/झुंझूनू
अपील संख्या – 155/2013/झुंझूनू
अपील संख्या – 156/2013/झुंझूनू
अपील संख्या – 157/2013/झुंझूनू

मैसर्स पृथ्वीराज कन्सट्रक्शन कम्पनी,
झुंझूनूं ....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, झुंझूनूं .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा उक्त चार अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 21.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमे उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–झुंझूनू द्वारा पारित पृथक–पृथक 8 आदेशों को यथावत रखा गया हैं।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त, सीकर द्वारा अपीलार्थी ठेकेदार व्यवसायी को Construction of 200 mm dia Tubewell supply and Installation of submersible pump set & Commissioning of tubewells के संबंध में विभिन्न वर्क ऑर्डर द्वारा संविदा कार्य दिया गया। ठेकेदार द्वारा इन ठेकों के संबंध में मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र WT-1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत झुंझूनू (जिसे आगे **"सक्षत अधिकारी"** कहा जायेगा) के समक्ष 2.25 प्रतिशत की दर से प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त ठेका कार्य की प्रकृति का अवलोकन करने पर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार मुक्ति शुल्क 2.25 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत की श्रेणी में होना माना गया। इस संबंध में ठेकेदार को सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ठेकेदार की ओर से श्री ए. एल. केडिया द्वारा सशक्त अधिकरी के समक्ष का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए, यह माना गया कि अवार्डर विनिर्माता नहीं है एवं टयूबवैल से निकलने वाले पानी का प्रयोग होटल अथवा फैक्ट्री चलाने के लिए विनिर्माण के लिए नहीं किया जाता है। अतः ट्यूबवैल निर्माण को प्लांट एवं मशीनरी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इस आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम नंबर 4 के अंतर्गत उक्त ठेका कार्य कवर होना मानते हुए मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र 3 प्रतिशत से पृथक–पृथक आदेश क्रमशः दिनांक 03.10.2011, 03.10.2011, 18.06.2012 व 18.06.2012 पारित किये गये। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी

लगातार.....2

ठेकेदार द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी ठेकेदार की अपीलें अस्वीकार करते हुए, सशक्त अधिकारी के आदेशों को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश दिनांक 21.11.2012 के विरूद्ध ये चारों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

3. उक्त चारों अपीलों में विवादित बिन्दू एक समान होने एवं आवंटित ठेका कार्य भी एक प्रकार का होने तथा जारी प्रमाण पत्र भी एक ही फर्म से संबंधित होने के कारण इन सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावें।

4. अपीलार्थी–ठेकेदार के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि ट्यूबवैल निर्माण एवं समर्सिबल पम्प की स्थापना का कार्य प्लांट एवं मशीनरी की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है, अतः इस पर देय विमुक्ति शुल्क 2.25 प्रतिशत ही है। अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम नंबर 3 के अनुसार पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी सम्मिलित है एंव ट्यूबवैल निर्माण में पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा मोटर, पम्प एवं केबल स्टार्टर आदि की फिटिंग का कार्य भी किया जाता है।यह प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना एवं पाईप लाईन बिछाने के कार्य के अंतर्गत ही आता है। अवार्डर पी.एच.ई.डी. विभाग का मुख्य कार्य जमीन से पानी निकाल कर जनजीवन को पानी की सप्लाई करने का है जो कि पानी निकालने का कार्य प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना के अंतर्गत ही माना जाता है। सशक्त अधिकारी ने आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि अवार्डर निर्माणकर्ता नहीं है जिस कारण अधिसूचना के आईटम नंबर 3 में कवर नहीं माना जा सकता है। केवल सूची में प्लांट एवं मशीनरी का अंकित होना ही पर्याप्त है एवं अवार्डर का उत्पादनकर्ता होना आवश्यक नहीं है। उनका अग्रिम तर्क था कि पी.एच.ई.डी. का मुख्य कार्य पेयजल सप्लाई करना है जिसके बदले में उनके द्वारा चार्जेज वसूल किया जाता है। अतः पी.एच.ई.डी. भी एक प्रकार से व्यवसायी की श्रेणी में आता है। अपने तर्क के समर्थन में इन्होंने कहा कि माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय 31 एसटीसी 456, में वाटर पम्पिंग सैट को मशीनरी के रूप में माना गया है। माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय उड़ीसा एग्रो इण्ड. कारपोरेशन लि0 बनाम उड़ीसा राज्य 90 एसटीसी 571 में स्प्रेयर को भी मशीनरी के रूप में माना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय (1991) 190 आईटीआर 487 निर्णय दिनांक 29.01.1991 में ट्यूबवैल एवं वजन तौलने की मशीन को भी प्लान्ट एवं मशीनरी की श्रेणी में माना गया है। विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार कर ई. सी. फीस 3 प्रतिशत की दर के स्थान पर 2.25 प्रतिशत की दर से ई.सी. जारी की जावे।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को उचित बताते हुये, अपीलार्थी–ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

लगातार.....3

7. प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि works contract को ई.सी. प्रमाण पत्र के संबंध में वेट अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006 की List के अन्तर्गत किस श्रेणी में माना जाये। उपरोक्त अधिसूचना का संबंधित भाग निम्न प्रकार है :–

List

Item No.	Description of Work Contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	1[xxx]	0.25%
2.	Works contracts relating to building, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.50%
3.	works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPo, water treatment plant, laying of pipe line with material	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1 [xxx] 2 and 3	3%

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1, 2006.

विचाराधीन प्रकरणों में वर्क्स कान्ट्रेक्ट का नाम निम्न प्रकार है :–

Construction of 200 mm dia Meter Tubewell supply and Installation of submersible pump sets & Commissioning of tubewells with 5 years defect liability period in rural areas ----------.

यह कार्य उक्त तालिका के आईटम सं. 2 व 3 में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है जिससे यह कार्य आईटम सं. 4 से कवर होता है जिस पर 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस देय है। अपीलार्थी का यह कथन है कि वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट का उपरोक्त कार्य अधिसूचना में दी गयी सारणी के बिन्दु संख्या 3 Works contracts relating to installation of Plants and Machinery including PSPo, water treatment plant, laying of pipe lime with material के अन्तर्गत आता है जिस पर 2.25 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस देय है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार बिन्दु सं. 3 में वे ही ठेका कार्य सम्मिलित है जो या तो प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना से संबंधित हो अथवा वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, पीएसपीओ एवं माल सहित पाईप लाईन बिछाने के कार्यो से संबंधित हो। यहा प्लांट एवं मशीनरी शब्द का एक साथ प्रयोग किया गया है अलग–अलग नहीं? अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा यह कहना कि पम्पिंग सैट को माननीय न्यायालय द्वारा मशीनरी के अन्तर्गत माना है, के अनुसार यह मान भी लिया जाये कि ट्यूबवेल व सबमर्सीबल पम्पसैट प्लान्ट व मशीनरी की श्रेणी में है तो भी यह कार्य आईटम सं. 3 से कवर नहीं होता है क्योंकि कार्यादेश के अनुसार कार्य में 200 एमएम डाया के धरातल से 150 मीटर की गहराई तक ट्यूबवैल निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है। यदि कार्यादेश की कुल राशि पर विचार किया जाये तो ट्यूबवैल का निर्माण व ट्यूबवैल की लागत लगभग 45 प्रतिशत है, उदाहरण के लिए गुडा डहर के कार्य से संबंधित जी शेड्यूल के अनुसार कार्य की कुल लागत 2,50,511/–रू. में से Construction of Tubewell की लागत 41,250/–रू. व Drilling of 200 mm dia bore for tubewell की लागत 68,000/– है। कार्यादेश के अनुसार कार्य में Construction of Tubewell, Drilling of 200 mm dia bore for tubewell, supply and installation of submersible pump set and Commissioning of

लगातार.....4

tubewells, इस प्रकार कार्य के मुख्य 4 भाग है तथा यदि स्थापित ट्यूबवैल को प्लान्ट व पम्प सैट्स को मशीनरी की श्रेणी मान लिया जावे तो यह आईटम सं. 3 का आधा भाग ही है क्योंकि कार्य में सम्मिलित शेष भाग Construction of Tubewell, Drilling of 200 mm dia bore for tubewell, आईटम सं. 3 में शामिल नहीं है। समग्रता से देखा जाये तो सम्पूर्ण कार्य न तो आईटम सं. 2 व न ही आईटम सं. 3 में वर्णित है। अपीलार्थी ठेकेदार के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि ट्यूबवेल की स्थापना में पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी किया जाता है जो कि अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006 की आईटम संख्या 3 में कवर होता है, यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि आईटम नम्बर 3 में केवल प्रत्यक्ष पाईप लाईन बिछाने का कार्य सम्मिलित है जबकि नलकूप स्थापना में पाईपों को जमीन में डालकर उसमे मोटर स्थापित करने का कार्य किया जाता है। यह केवल पाईप लाईन बिछाने के कार्य की श्रेणी में नही माना जा सकता। अतः ट्यूबवेल निर्माण एवं पम्प सैट स्थापना का कार्य अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006 के बिन्दु सं0 3 में कवर होना नहीं माना जा सकता। सशक्त अधिकारी द्वारा इसे अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006 आईटम नं. 4 Any other kind of works contract not covered by item Nos.1[xxx] 2 and 3 में कवर होना मानते हुए 3 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किये है जो विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरणों के तथ्यों पर समुचित विवेचन करने के पश्चात् ही अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

8. यहा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से भी अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि विचाराधीन प्रकरणों में मात्र प्लान्ट एवं मशीनरी का ही बिन्दु नहीं है बल्कि कार्य आदेश के अनुसार कार्य में 200 एमएम डाया के धरातल से 150 मीटर की गहराई तक ट्यूबवैल निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है। माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय 31 एसटीसी 456 में वाटर पम्पिंग सैट को मशीनरी के रूप में माना गया है परन्तु इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह था कि वाटर पम्पिंग सेट यूपी सेल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत कृषि उपकरण में माना जाये या नहीं जबकि विचाराधीन प्रकरणों में कार्यादेश के अनुसार कार्य की श्रेणी देखी जानी है। इसी प्रकार माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय (1991) 190 आईटीआर 487 निर्णय दिनांक 29.01.1991 में ट्यूबवैल एवं वजन तौलने की मशीन को भी प्लान्ट एवं मशीनरी की श्रेणी में माना गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय इनकम टैक्स 1961 के अन्तर्गत व्यवहारी के कागज उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पानी हेतु स्थापित ट्यूबवैल को प्लान्ट मानकर इनवेस्टमेन्ट अलाउंस दिया जाये या नहीं, के बिन्दु पर यह माना है कि चूंकि ट्यूबवैल का प्रयोग कागज के उत्पादन हेतु पानी निकालने में आता है जिससे ट्यूबवैल का कार्य व्यवहारी के इनवेस्टमेन्ट का पार्ट है जबकि विचाराधीन प्रकरणों में कार्यादेश के अनुसार कार्य की श्रेणी देखी जानी है।

9. फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 21.12.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन) — सदस्य

(नत्थूराम) — सदस्य